सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

दिनांक 22.08.2021

छात्रवृत्ति सूचना

अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग एव अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पूर्व की भॉति इस वर्ष शिक्षण सत्र 2021–22 छात्रवृत्ति के लिए आनलाईन आवेदन 22 जुलाई 2021 से किया जा रहा है। जिसकी अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर 2021 है। इच्छूक अभ्यर्थी छात्रवृत्ति की आनलाइन बेवसाइड **www.Scholarship.up.nic.in** पर आनलाइन आवेदन करे। नवीन छात्र एवं छात्राओं के लिए निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, के साथ इण्टरनेट की कापी, हाई स्कूल अंक पत्र, इण्टरमीडियेट अंक पत्र, फीस रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि की फोटो कापी लगाना अनिवार्य है।
2. अनु.जाति के अभिभावको की आय सीमा 250000/–एवं अन्य छात्रो के अभिभावको की आय सीमा 200000/–मात्र के अन्तर्गत है वे छात्रवृत्ति के पात्र है।
3. पुराने छात्र**(Old Students)** छात्रवृत्ति नवीनीकरण करने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अंक पत्र, इण्टरमीडियेट अंक पत्र,जाति प्रमाण–पत्र,आय प्रमाण–पत्र, फीस रसीद, परीक्षाफल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिचय पत्र, आदि की फोटो कापी संलग्न कर कुलसचिव कार्यालय के काउन्टर नं0 4 पर जमा करना अनिवार्य है। फार्म जमा करने के उपरान्त ही आपका फार्म कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। नवीनीकरण करने वाले छात्रो को परीक्षाफल, पूर्णाक प्राप्तांक को कालम में भरना अनिवार्य है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्रो की होगी।

4\. विगत वर्ष 2020–2021 में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का उल्लेख करना अनिवार्य है। जिन छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान नही किया गया है वे छात्र कालम में शून्य अंकित करेगे। फार्म भरने की किसी प्रकार की त्रुटि स्वयं छात्र/छात्राओं की होगी।

4\. छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्रो की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

5.विश्वविद्यालय योजना के अन्तर्गत जिन छात्रो को फीस कनसेशन प्राप्त है वे छात्र छात्रवृत्ति आवेदन के पात्र नही है।

6\. परीक्षाफल में बैक या फेल या रिपीट न हो वही छात्र छात्रवृत्ति के पात्र होगे।

7.छात्रवृत्ति का फार्म सावधानी पूर्वक भरे जो कालम समझ में न आने पर वे छात्र काउन्टर पर सम्पर्क कर सही फार्म भरने का निराकरण करा ले अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रृटिपूर्ण की ज़िम्मेदारी छात्र एवं छात्राओं की होगी।

8.बैक खाता इलाहाबाद के अन्दर अथवा यू0पी0 के किसी भी बैक का खाता मान्य है।

9.छात्र/छात्राये बैक खाता आधार से लिंक करा ले, तभी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

10 उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही छात्रवृत्ति आवेदन के पात्र है।

11.छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी के लिए कुलसचिव कार्यालय के काउन्टर नम्बर 4 पर सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक 2.30 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क कर छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित न रहे।

उपकुलसचिव